"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 333] रायपुर, बुधवार, दिनांक 24 अगस्त 2016— भाद्रपद 2, शक 1938

पशुधन विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 4 अगस्त 2016

अधिसूचना

क्रमांक एफ 8-92/35/नियम/2005/2016. — छत्तीसगढ़ गौ-सेवा आयोग अधिनियम, 2004 (क्र. 23 सन् 2004) की धारा 23 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ गौ-सेवा आयोग नियम, 2005 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में,-

1. नियम 5 के उप-नियम (1) में, शब्द, अंक एवं चिन्ह "संस्था" एवं "रु. 50.00 रुपए (पच्चास रुपये)" के स्थान पर, क्रमश: शब्द, अंक एवं कोष्टक "स्वयंसेवी संस्था" एवं "रु. एक 100.00 (रु. एक सौ मात्र)" प्रतिस्थापित किया जाये.

2. नियम 5 के उप-नियम (2) में, शब्द "संस्था" एवं "पांच सौ रुपए मात्र" के स्थान पर, क्रमश: शब्द, अंक एवं कोष्टक "स्वयंसेवी संस्था" एवं "रु. 1000.00 (रु. एक हजार मात्र)" प्रतिस्थापित किया जाये.

3. नियम 5 के उप-नियम (3) के खण्ड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाये, अर्थात् :-

   "(घ) छत्तीसगढ़ गौसेवा आयोग से नवीन गौशाला के पंजीयन के लिये, यह आवश्यक है कि गौशाला के पास कम से कम 50 पशुधन एवं उसके नाम से पंजीकृत आधा एकड़ भूमि होनी चाहिये."

4. नियम 11 के उप-नियम (1) में,-

   (एक) शब्द "कोई व्यय" के स्थान पर, "स्वयंसेवी संस्थाओं को अनुदान राशि का व्यय" प्रतिस्थापित किया जाये.

   (दो) शब्द "अनुमोदित न हो" के पश्चात्, निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाये, अर्थात् :-

   "अशासकीय सदस्यों की रिक्ति की स्थिति में शासकीय सदस्यों द्वारा, क्रियान्वयन समिति की बैठक का आयोजन कर, निर्णय लिया जा सकेगा"

(तीन) खण्ड (घ) एवं (ङ) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(घ) सदस्य - संचालक, पशु चिकित्सा सेवायें;

(ङ) सदस्य - प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड (मंडी बोर्ड)."

(चार) खण्ड (ङ) के पश्चात्, निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(च) सदस्य - सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य गौ-सेवा आयोग.

(ज) सदस्य - रजिस्ट्रार/उप संचालक, छत्तीसगढ़ गौ-सेवा आयोग."

5. नियम 11 के उप-नियम (5) में, शब्द "2-3 किश्तों में" के स्थान पर, शब्द "त्रैमास के आधार पर" प्रतिस्थापित किया जाये.

6. नियम 11 के उप-नियम 10 में,-

(एक) खण्ड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(ख) संस्था में कम से कम 50 पशु होंगे जिसमें गैर लाभदायक, अनार्थिक, अशक्त एवं वृद्ध पशु भी सम्मिलित होंगे. गौशाला के अध्यक्ष एवं सचिव द्वारा प्रत्येक माह की 10 तारीख तक प्रस्तुत किये गये प्ररूप-6 में उल्लिखित पशुओं की संख्या का सत्यापन निकटतम पशु चिकित्सालय के पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ द्वारा किया जायेगा."

(दो) खण्ड (घ) का लोप किया जाये.

(तीन) खण्ड (ङ) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(ङ) आयोग के पंजीयक एवं पंजीयक द्वारा नियुक्त क्षेत्रीय अधिकारियों को, संस्था को दिये गये अनुदान के कार्यों का निरीक्षण एवं समीक्षा करने का अधिकार होगा. संस्था के लिये यह अनिवार्य होगा कि कार्य की समाप्ति पर उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रदान करे. संस्था, आयोग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेश/निर्देश का पालन करेगा."

(चार) खण्ड (छ) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"(ज) संस्था, प्रत्येक माह प्ररूप-6 में त्रैमासिक प्रतिवेदन/वार्षिक प्रतिवेदन एवं अनुदान का उपयोगिता प्रमाणपत्र, प्रत्येक त्रैमास की समाप्ति के 10 दिवस के भीतर, अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेगा."

7. नियम 11 के उप-नियम (11) में,-

(एक) खण्ड (एक) में, शब्द तथा चिन्ह "अनुदान स्वीकृत की जावेगी." के पश्चात्, निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"छत्तीसगढ़ गौ-सेवा आयोग, पंजीकृत गौशालाओं को वित्तीय वर्ष के सभी चारों त्रैमास में देय पोषण आहार अनुदान का अनुमोदन, छत्तीसगढ़ क्रियान्वयन समिति की प्रथम त्रैमास की बैठक में लेगा. द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ त्रैमास के आहार अनुदान के लिये उक्त त्रैमासों के, प्ररूप-6 एवं प्ररूप-2 में दिये गये जानकारी के अनुसार एवं पूर्व में दिये गये अनुदान की उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् वितरण किया जायेगा तथा छत्तीसगढ़ गौ-सेवा आयोग की क्रियान्वयन समिति की आगामी बैठक में इसकी सूचना दी जायेगी."

8. नियम 11 के उप-नियम (11) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"(12) पंजीयन प्ररूप के विक्रय से संग्रहित राजस्व, गौशाला पंजीयन शुल्क एवं आयोग की बचत निधि से प्राप्त ब्याज की राशि का उपयोग, छत्तीसगढ़ गौ-सेवा आयोग के उद्देश्य के प्रचार, कार्यशाला, शैक्षणिक अध्ययन एवं आयोग के अन्य विविध कार्यों के लिये किया जायेगा.

(13) (क) जप्त पशुओं के गौशाला तक परिवहन, पोषण तथा आकस्मिक व्ययों हेतु संबंधित जिले के संयुक्त संचालक/उप संचालक पशु चिकित्सा सेवायें के खाते में अग्रिम राशि रुपये एक लाख (रु. 1,00,000/- मात्र) जमा किया जायेगा. व्यय की लेखाओं का संधारण, संबंधित जिले के संयुक्त संचालक/उप संचालक पशु चिकित्सा सेवायें के द्वारा किया जायेगा. संयुक्त संचालक/उप संचालक के लिये यह आवश्यक होगा कि राशि की प्राप्ति एवं किये गये व्यय की सूचना जिला कलेक्टर एवं छत्तीसगढ़ गौ-सेवा आयोग को दे. गौ-सेवा आयोग, पूर्व में दी गयी राशि को उपयोजित करने के पश्चात्, संयुक्त संचालक/उप संचालक को पुन: अग्रिम देगा. आयोग द्वारा इस प्रकार दी गई राशि, आयोग द्वारा नियुक्त पशु कल्याण अधिकारी, पंजीकृत गौशाला समिति, पुलिस विभाग के अधिकारी/कर्मचारी एवं अन्य गौसेवक की देयकों के भुगतान के प्रयोजन के लिये होगा.

(ख) यदि जप्त पशुओं के गौशाला तक परिवहन, पोषण तथा अन्य आकस्मिक व्यय, आयोग द्वारा नियुक्त पशु कल्याण अधिकारी या पंजीकृत गौशाला समिति द्वारा किया जाता है तथा इसके आवश्यक दस्तावेज छत्तीसगढ़ गौ-सेवा आयोग के कार्यालय में प्रस्तुत किया जाता है, तो छत्तीसगढ़ गौ-सेवा आयोग, भुगतान की गई राशि का प्रतिसंदाय करेगा.

(ग) परिवहन, आहार तथा अन्य आकस्मिक व्ययों के देयकों का सत्यापन, संबंधित पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा किया जाना चाहिये, इसके साथ ही प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं जप्त पशुओं की सुपुर्दगी पावती गौशाला को प्रस्तुत करना अनिवार्य है."

9. नियम 12 के उप-नियम (5) के पश्चात्, निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(6) स्वयंसेवी संस्था, संपरीक्षित वार्षिक लेखा प्रतिवेदन आयोग कार्यालय में चालू वित्तीय वर्ष के प्रथम त्रैमास के अंत तक अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेगा. यदि वे संपरीक्षित वार्षिक लेखा प्रतिवेदन उक्त अवधि के बाद प्रस्तुत करते हों, तो उन्हें त्रैमास, जिसमें वह प्रस्तुत किया गया हो, के उत्तरवर्ती त्रैमास से अनुदान की पात्रता होगी."

10. प्रपत्र-6 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"प्रपत्र-6

[नियम-11 (11) देखिये]

(वृद्ध, अपंग, कमजोर तथा जप्त किए गए पशुओं के पोषण आहार अनुदान हेतु प्रपत्र)

(पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ द्वारा सत्यापन किया जावे)

संस्था का नाम...ग्राम...विकास खण्ड...

जिला..वित्तीय वर्ष..माह...

क्र.	पशु का वर्ग का नाम	गत माह के अंत में पशुधन की संख्या	माह में गौशाला को प्राप्त जप्त पशुओं की संख्या	कृषकों से दान में प्राप्त पशुओं की संख्या	कोर्ट के आदेश पर वापस किये गये पशुओं की संख्या	कृषकों की अभिरक्षा में वितरित पशुओं की संख्या	माह में		माह के अंत में कुल पशुधन की संख्या	समतुल्य इकाई	कुल व्यस्क पशु इकाई
							जन्मे वत्स	मृत्यु संख्या			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	गाय-1. जर्सी, एच.एफ. एवं क्रॉस 2. साहीवाल, गिर, सिंघी, कांक्रेज, हरियाणा, थारपारकर 3. कोशली (छत्तीसगढ़)									1.0	
2.	बछवा/बछिया (31/2 वर्ष की आयु तक)									0.7	
3.	बछड़े (एक वर्ष की आयु तक)									0.2	
4.	सांड/बैल (ऊंचाई 5 फीट से कम न हो)									1.2	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5.	भैंस, भैंसा									1.2	
6.	पाड़ा, पड़िया (31/2 वर्ष की आयु तक)									0.8	
7.	बछड़े (भैंस) (एक वर्ष की आयु तक)									0.2	
	योग इकाई									0.2	

हस्ता. एवं सील

पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ
शासकीय पशु चिकित्सालय
....
जिला.................................
नाम- डॉ. ....
मोबा. नं. ...."

हस्ताक्षर एवं सील

अध्यक्ष/सचिव
(नाम एवं मोबाईल नं. सहित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुप कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

Naya Raipur, the 4th August 2016

NOTIFICATION

No. F 8-92/35/नियम/2005/2016 . — In exercise of the powers conferred by Section 23 of the Chhattisgarh Goseva Ayog Act, 2004 (No. 23 of 2004), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Go-Seva Ayog Rules, 2005, namely :-

AMENDMENT

In the said rules,-

1. In sub-rule (1) of rule 5, for the words, fugure and symbol "Institution" and "Rs. 50/-", the words, figure and parenthesis "Self Governing Institution" and "Rs. 100.00 (Rs. One hundred only)" shall be substituted, respectively.

2. In sub-rule (2) of rule 5, for the words "Institution" and "Rupees Five hundred", the words, figure and parenthesis "Self Governing Institution" and "Rs. 100.00 (Rs. One thousand only)" shall be substituted, respectively.

3. After clause (c) of sub-rule (3) of rule 5, the following shall be inserted, namely :-

   "(d) For the registration of new Goushala with the Chhattisgarh Goseva Ayog, it is necessary that Goushala should have minimun 50 numbers of livestock and half acre land registered in its name."

4. In sub-rule (1) of rule 11,-

   (i) for the word "expenditure", the words "expenditure of grant amount of self governing institutions" shall be substituted.

   (ii) after the word "Committee" and before the words "Members shall be included", the following shall be inserted, namely :-

   "In case of vacancy of Non-Government Member, decision may be taken by the Government member by organizing the meeting of the Working Committee."

   (iii) For clause (d) and (e), the following shall be substituted, namely :-

   "(d) Member-Director, Veterinary Services.
   (e) Member-Managing Director, Chhattisgarh Agricultural Marketing Board (Mandi Board)."

   (iv) After clause (e), the following shall be inserted, namely :-

   "(f) Member-Secretary, Chhattisgarh Goseva Ayog.
   (g) Member-Registrar/Deputy Director, Chhattisgarh Goseva Ayog."

5. In sub-rule (5) of rule 11, for the words "in two to three installment", the words "on the quarterly basis" shall be substituted.

6. In sub-rule (10) of rule 11,-

   (i) for clause (b), the following shall be substituted, namely :-

   "(b) Institution shall have at least 50 animals, inclusive of Non-profitable, uneconomical, disabled and aged animals, Veterinary Assistant Surgeon of nearby Veterinary Hospital shall verify number of animals mentioned in Form-6 submitted by the President and Secretary of Goshala till 10th of every month."

   (ii) clause (d) shall be omitted.

(iii) for clause (e), the following shall be substituted, namely :-

"(e) Registrar of the Ayog and Regional Officers appointed by the Registrar shall have the right to inspect and review the activities under grants provided to the institution. It shall be mandatory for the institution to provide Ayog utilization certificate on completion of work. Institution shall follow the order/instruction issued by the Ayog, from time to time."

(iv) After clause (g), the following shall be added, namely :-

"(h) The institution shall mandatorily submit Form 6 of every month, quarterly report / annual report and utilization certificate of the grant, within 10 days of the completion of every quarter."

7. In sub-rule (11) of rule 11,-

(i) in clause (i), after the words and parenthesis "(maximum limit of grant Rs. 20.00 Lacs (Rs. twenty lacs)/ per year)", the following shall be inserted, namely :-

"The Chhattisgarh Goseva Ayog shall take approval of nutritious food grants payable in all four quarters of the financial year to the registered goshala in the meeting of the first quarter of the Chhattisgarh Working Committee. The fodder subsidy of 2nd, 3rd and 4th quarter shall be dispersed as per information given in Form-6 and Form-2 of the said quarters and after utilization certificate of previous subsidy is furnished and information of the same shall be given in the next Chhattisgarh Go-Seva Ayog Working Committee meeting."

8. After sub-rule (11) of rule 11, the following shall be added, namely :-

"(12) The revenue collected from selling of registration form, Goshala registration fee and interest received from the Ayog saving funds shall be utilized for publicity of objectives of the Chhattisgarh Go-Seva Ayog, workshops, educational studies and miscellaneous other works of the Ayog.

(13) (a) An advance of rupees one lakh (Rs. 1,00,000/- only) shall be deposited in the account of the Joint Director/Deputy Director veterinary services of the concerned districts for the transport of seized animals to the nearby goshala, fodder and emergency expenses. The Accounts of expenditure shall be maintained by Joint Director/Deputy Director Veterinary Services of the concerned District. It shall be necessary for Joint Director/ Deputy Director to inform District Collector and Chhattisgarh Go-Seva Ayog about the amount received and expenses made. The Go-Seva Ayog shall again give the advance to the Joint Director/ Deputy Director after the utilization of earlier paid amount. The amount so given by the Ayog shall be for the purposes of payment towards the bills of Animal welfare officer appointed by Ayog, registered goshala samiti, Officers/Employees of Police Department and other go-sevak.

(b) If the transportation to the nearby goshala, feeding and other casual expense of seized cattle is made by Animal Welfare Officer appointed by the Ayog or registered goshala samiti and the necessary document of the same is submitted in the Chhattisgarh Go-Seva Ayog office, then the Chhattisgarh Go-Seva Ayog will repay the amount paid.

(c) The bills for the transport, fodder and other casual expenses should be verified by the incharge officer of the concerned police station, along with this it is mandatory to submit First Information Report and delivery receipt of the seized cattle to Goshala."

9. After sub-rule (5) of rule 12, the following shall be inserted, namely :-

"(6) Self governing Institutions will compulsorily submit audited annual account report to Ayog office at the end of first quarter of current financial year. If audited annual accounts report is submitted after the said period, then they shall be eligible for the subsidy from the quarter succeeding the quarter in which it is submitted."

10. For Proforma 6, the following shall be substituted, namely:-

"Proforma -6

(See Rule 11 (11))

(Proforma for the subsidy to the Aged , lame , weak & seized animal)

(Verified by Veterinary Assistant Surgeon)

Name of the institution ——————————Village——————————-Block——————

District.—— ——————financial year ——————————Month——————————

S.No.	Name of animal group	No. of animal at the end of last month	No. of seized animal handed over to gaushala in the month	No. of animals donated by the farmer	No. of animals returned by persuasion of court order	No. of animals distributed to the farmer on custody	In the month		No. of total animal at the end of month	Comparative unit	Total adult unit
							calf born	animal died			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	cow- 1. Jersey, H.F. & its cross 2.Sahiwal, Gir, Sindhi, Kankrej, Hariana, Tharparker 3. Kosheli (C.G.)									1.0	
2	He/She Calf (Up to 3½ Year of Age)									0.7	
3	He/She Calf (Up to 1 Year of Age)									0.2	
4	Breeding Bull/ Bullock (Height not less than 5 feet)									1.2	
5	He/She Buffalo									1.2	
6	He/She Buffalo Calf (1- 3½ Year of Age)									0.8	
7	He/She Buffalo Calf (Up to 1 Year of Age)									0.2	
	Total Unit									0.2	

Sign & Seal

Veterinary Assistant Surgeon
Veterinary Hospital
District
Name - Dr.
Mobile No."

Sign & Seal

Chairman/Secretary
(With Name & Mobile No.)

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ANUP KUMAR SHRIVASTAVA, Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016.